

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1618

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

नई विद्युत प्रौद्योगिकी का उपयोग

1618. श्री के. टी. एस. तुलसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी नवीनतम विद्युत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोई योजना है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : ताप उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भेल, एनटीपीसी और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) को शामिल करते हुए 1500 करोड़ रुपए की लागत पर एक उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आर एण्ड डी परियोजना अनुमोदित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उच्च दक्षता प्राप्त करना, कार्बन-डाई-आक्साइड के उत्सर्जन में कमी करना और कोयला खपत में कमी करना है। कतिपय पूर्व-परियोजना आर एण्ड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की समग्र देख-रेख में कार्यक्रम के लिए आर एण्ड डी कार्य किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1619

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में निवेश

1619. श्री के. टी. एस. तुलसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय देश के कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में निवेश रोकने का विचार रखता है; और

(ख) विकसित देशों के ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में भारत स्थित 47 ताप विद्युत संयंत्रों की कार्यक्षमता का स्तर क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला रिजर्व है और कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा।

(ख) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की ग्रीन रेटिंग के लिए विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट में उल्लिखित 47 ताप विद्युत संयंत्रों की भारत औसत क्षमता 33.9 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों के ताप विद्युत संयंत्रों की औसत क्षमता लगभग 38 से 40 प्रतिशत है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1620

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

नेशनल ग्रिड से दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ा जाना

1620. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र अभी शेष नेशनल पाँवर ग्रिड से समसामयिक रूप से नहीं जुड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष देश के साथ दक्षिणी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का सृजन करने के समेकित कार्य सहित इसकी अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, ताकि उक्त ऊर्जा का इष्टतम उपयोग किया जा सके?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दक्षिणी क्षेत्र शेष राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से समसामयिक रूप से जुड़ा हुआ है।

(ग) : राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय लिंक की योजना बनाई गई है जो पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात् उत्तरी-क्षेत्र, पश्चिमी-क्षेत्र, दक्षिणी-क्षेत्र, पूर्वी-क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ती है। वर्तमानतः ऐसे अंतर-क्षेत्रीय लिंकों की कुल पारेषण क्षमता 45,850 मेगावाट है जिसे 12वीं योजना के अंत अर्थात् 2016-17 तक 68,050 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, राज्य/अंतर राज्य ग्रिडों के साथ दक्षिणी क्षेत्र में वृहत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एकीकरण करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के अंतर्गत विभिन्न अंतरराज्यीय पारेषण स्कीमों की भी योजना बनाई गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1621

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विविधीकरण
योजनाओं में बाधाएं

1621. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) बिजली के पारेषण और वितरण के क्षेत्र में प्रवेश करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में राज्य सरकारों की ओर से बाधाएं पहुंचाने को लेकर आशंकित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन क्षेत्रों, जहां बिजली केवल 6-10 घंटे तक रहती है, की तुलना में ऐसे क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अनवरत जारी रह सकती है, जहां एनटीपीसी द्वारा बिजली सुविधा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की विद्युत का पारेषण और वितरण आरंभ करने की योजना नहीं है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-1622

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

सभी गरीब परिवारों को बिजली

1622. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजली की सुविधा से वंचित रह गए देश के लगभग 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को बिजली पहुंचाना वर्तमान केन्द्रीय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में अब तक की प्रगति क्या अपेक्षानुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में, 43033 करोड़ रूपए की कुल राशि से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। पूर्व की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई में आरई घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी गैर विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को जनसंख्या मानदण्ड पर ध्यान दिए बिना ही स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जा सकता है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत, अब तक 921 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार देश में संचयी रूप से 109524 गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया गया है और 2.18 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1623

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्बों का वितरण

1623. डॉ. टी. सुब्बाराामी रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिजली संरक्षण के लिए मांग-आधारित प्रभावी प्रकाश कार्यक्रम के अधीन लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) लैम्पों/बल्बों के वितरण के लिए एक नई योजना हाल ही में शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इसके अधीन शामिल किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है और कब तक शेष राज्यों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या योजना के अधीन पूर्व-पंजीकरण शुरू किया जा चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बिजली बचाने/संरक्षण करने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ, विद्युत मंत्रालय के 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात् नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने विद्युत के संरक्षण के लिए माँग पक्ष आधारित दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) लैम्पों/बल्बों के वितरण के लिए हाल ही में एक नई स्कीम शुरू की है।

(ख) : माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में 5 जनवरी, 2015 को 100 शहरों में घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) की शुरुआत की है। डीईएलपी कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को संबंधित राज्य सरकार/डिस्काम द्वारा दी गई सहमति के अनुसार न्यूनतम 2 अथवा इनसे अधिक एलईडी बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं। एलईडी बल्बों के प्रापण की लागत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.(ईईएसएल) द्वारा वहन की जाती है। ईईएसएल द्वारा किए गए अग्रिम निवेश की वसूली 1-2 वर्षों की अवधि में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों से की जाती है। 100 शहरों को शामिल करते हुए कार्यक्रम के परिणाम का आकलन निम्नानुसार किया गया है:

100 शहरों में प्रतिस्थापित की जाने वाली अनुमानित एलईडी लाइट्स	21 करोड़
प्रत्याशित वार्षिक ऊर्जा बचत	6,615 मिलियन किलोवाट घंटा (केडब्ल्यूएच)
संस्थापित भार में संभावित कमी	6,300 मेगावाट (एमडब्ल्यू)
प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताओं की संभावित लागत बचत (विचारित औसत प्रशुल्क रु. 5.5/केडब्ल्यूएच) है	3638 करोड़
आकलित पूंजीगत निवेश (ओएंडएम रहित)	2400 करोड़
सेवा निवेशों (ओएंडएम सहित) के लिए ईईएसईएल/तृतीय पक्ष को आकलित वार्षिक भुगतान	2520 करोड़

(ग) : आज की तारीख में इसके अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों और शेष बने राज्यों की कवरेज की संभावित तिथि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

राज्य का नाम	कवरेज का संभावित माह
आंध्र प्रदेश	जनवरी-फरवरी/15
दिल्ली	मई/15
राजस्थान	मई/15
महाराष्ट्र	मई/15
केरल	मई/15
उत्तर प्रदेश	मई/15
त्रिपुरा	जून/15
हिमाचल प्रदेश	जून/15
हरियाणा	जून/15
नागालैंड	जून/15
मिजोरम	जून/15
ओडिशा	अगस्त/15
मध्य प्रदेश	सितंबर/15
कर्नाटक	नवंबर/15
पंजाब	सितंबर/15
गोवा	मई/15

(घ) : दिल्ली में पूर्व-पंजीकरण शुरू हो गया है। आज की तिथि तक 13 लाख उपभोक्ता पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) : विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने निम्नलिखित ऊर्जा दक्षता उपाय शुरू किए हैं।

- i. 19 उपस्करों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबलिंग।
- ii. यात्री कारों के लिए विनिर्दिष्ट ईंधन दक्षता मानक।
- iii. वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए तैयार की गई ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)।
- iv. नगरनिगम, घरों, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पर प्रदर्शन परियोजनाएं।
- v. नामोदिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट किए गए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड।
- vi. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य नामोदिष्ट एजेंसियों तथा वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण।
- vii. कार्य निष्पादन से जुड़े पुनर्भूगतान व्यापार मॉडल पर विशिष्ट प्रयोजन संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लि. (ईईएसएल) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को सक्षम बनाना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-1624

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

देश में बिजली की स्थिति

1624. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और मांग और आपूर्ति के बीच अंतर रहने के क्या कारण हैं;
- (ख) वर्ष 2012, 2013 और 2014 के दौरान देश में ताप, जल और परमाणु बिजली की प्राप्त की गई अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2015 के लिए इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने देश में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार पर पूरा करने का निर्णय लिया है ताकि बिजली की अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (अप्रैल, 2015) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में विद्युत की राज्य/संघ क्षेत्र-वार कुल मांग और आपूर्ति अनुबंध में दी गई है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर रहने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पारेषण और वितरण बाधाएं, (ii) कुछ क्षेत्रों में कमजोर मानूसन के कारण कम जलविद्युत उत्पादन, (iii) राज्य डिस्कॉमों की उच्च समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एवं सी) हानियां, (iv) राज्य यूटिलिटीयों की कमजोर वित्तीय स्थिति, जिससे उनके लिए अतिरिक्त विद्युत के प्रापण के साथ-साथ, पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सृजन के लिए अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है।

(ख) : देश में वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान हसिल की गई ताप, जल और परमाणु विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि और वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

स्रोत	क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)						
	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
ताप	15154	20122	15234	16767	14988	20830	17346
जल	802	501	1198	1058	842	736	1691
विद्युत							
नाभिकीय	2000	0	2000	0	2000	1000	1000
कुल	17956	20623	18432	17825	17830	22566	20037

(ग) : जी, हाँ।

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 1624 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015				अप्रैल, 2015			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम माँग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	118	118	0	0	231	231	0	0
दिल्ली	2,262	2,260	-2	-0.1	4,517	4,517	0	0.0
हरियाणा	3,003	3,001	-2	-0.1	6,370	6,370	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	718	716	-2	-0.3	1,379	1,379	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1,311	1,111	-200	-15.3	2,275	1,896	-379	-16.7
पंजाब	2,916	2,915	-1	0.0	5,858	5,858	0	0.0
राजस्थान	4,488	4,488	0	0.0	7,798	7,798	0	0.0
उत्तर प्रदेश	7,815	6,917	-898	-11.5	12,967	12,347	-620	-4.8
उत्तराखण्ड	1,006	979	-27	-2.7	1,837	1,762	-75	-4.1
उत्तरी क्षेत्र	23,637	22,505	-1,132	-4.8	41,489	39,357	-2,132	-5.1
छत्तीसगढ़	2,038	2,010	-28	-1.4	3,788	3,677	-111	-2.9
गुजरात	8,775	8,775	0	0.0	13,207	13,178	-29	-0.2
मध्य प्रदेश	3,363	3,363	0	0.0	7,079	7,079	0	0.0
महाराष्ट्र	11,649	11,599	-50	-0.4	19,933	19,714	-219	-1.1
दमन एवं दीव	175	175	0	0.0	301	301	0	0.0
दादर नागर हवेली	447	447	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	386	386	0	0.0	507	477	-30	-5.9
पश्चिमी क्षेत्र	26,833	26,755	-78	-0.3	43,198	42,753	-445	-1.0
आंध्र प्रदेश	4,216	4,215	-1	0.0	6,789	6,789	0	0.0
तेलंगाना	4,088	3,987	-101	-2.5	6,805	6,661	-144	-2.1
कर्नाटक	5,515	5,377	-138	-2.5	9,486	9,335	-151	-1.6
केरल	1,888	1,864	-24	-1.3	3,073	3,067	-6	-0.2
तमिलनाडु	8,069	7,820	-249	-3.1	13,348	12,380	-968	-7.3
पुडुचेरी	206	206	0	0.0	342	342	0	0.0
लक्षद्वीप	4	4	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	23,982	23,469	-513	-2.1	37,634	36,777	-857	-2.3
बिहार	1,650	1,606	-44	-2.7	2,924	2,844	-80	-2.7
डीवीसी	1,608	1,587	-21	-1.3	2,505	2,490	-15	-0.6
झारखण्ड	601	598	-3	-0.5	1,058	1,040	-18	-1.7
ओडिशा	2,307	2,281	-26	-1.1	3,954	3,932	-22	-0.6
पश्चिम बंगाल	4,098	4,069	-29	-0.7	7,303	7,288	-15	-0.2
सिक्किम	32	32	0	0.0	77	77	0	0.0
अंडमान-निकोबार	20	15	-5	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	10,296	10,173	-123	-1.2	17,073	17,024	-49	-0.3
अरुणाचल प्रदेश	37	35	-2	-5.4	138	114	-24	-17.4
असम	629	582	-47	-7.5	1,395	1,282	-113	-8.1
मणिपुर	56	52	-4	-7.1	150	148	-2	-1.3
मेघालय	143	129	-14	-9.8	400	312	-88	-22.0
मिजोरम	33	31	-2	-6.1	85	80	-5	-5.9
नागालैंड	54	52	-2	-3.7	120	112	-8	-6.7
त्रिपुरा	86	79	-7	-8.1	265	238	-27	-10.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,038	960	-78	-7.5	2,220	2,114	-106	-4.8
अखिल भारत	85,786	83,862	-1,924	-2.2	1,40,212	1,36,658	-3,554	-2.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडएलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।
टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015				अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम माँग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,03,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,32,453	3,11,589	-20,864	-6.3	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	1,34,897	1,33,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमन एवं दीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादर नागर हवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	3,17,367	3,14,923	-2,444	-0.8	44,166	43,145	-1,021	-2.3
आंध्र प्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,85,797	2,74,136	-11,661	-4.1	39,094	37,047	-2,047	-5.2
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखण्ड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिम बंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,19,102	1,17,170	-1,932	-1.6	17,040	16,932	-108	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,224	12,982	-1,242	-8.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	10,68,943	10,30,800	-38,143	-3.6	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडएलोन सिस्टम है. इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा संबंधी आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा संबंधी आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। ऐसा जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के रूप में विभाजन के कारण है।

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014				अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखण्ड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,09,463	2,90,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	1,26,288	1,23,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन एवं दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादर नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,94,659	2,91,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,77,245	2,58,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
झारखण्ड	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखण्ड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,08,203	1,06,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिज़ोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वांचल क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	10,02,257	9,59,829	-42,428	-4.2	1,35,918	1,29,815	-6,103	-4.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू व कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखण्ड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	3,00,774	2,73,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	49,226	44,272	-4,954	-10.1	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	1,23,984	1,19,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	2,93,918	2,84,126	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,81,842	2,38,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
झारखण्ड	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखण्ड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान-निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	1,07,457	1,02,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	9,95,557	9,08,652	-86,905	-8.7	1,35,453	1,23,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1625

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम में संशोधन

1625. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार चालू सत्र के दौरान विद्युत अधिनियम में काफी समय से लंबित पड़े संशोधनों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है;
- (ख) क्या प्रस्तावित संशोधनों में बिजली वितरण कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त किए जाने, विद्युत शुल्क को युक्तिसंगत बनाये जाने और उपभोक्ताओं को अपने आस-पास विद्युत की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से किसी भी कंपनी को चुनने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है; और
- (ग) क्या सरकार विद्यमान वितरण कंपनियों के कैरिज एण्ड कंटेंट कार्यकरणों को पृथक करने के लिए इच्छुक है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में दिए गए अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के प्रस्तावों को 10 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदन प्रदान किया है। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014, 19 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में पेश किया गया था। इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने 07 मई, 2015 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) और (ग) : जी, हां। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में प्रस्तावित संशोधनों से, बहु आपूर्ति लाइसेंसियों की शुरुआत विद्युत क्षेत्र में कंटेंट (विद्युत आपूर्ति व्यवसाय) से कैरिज (वितरण क्षेत्र/नेटवर्क) को पृथक करते हुए विद्युत वितरण कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को चयन का विकल्प देते हुए वितरण क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता लाई जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1626

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

1626. श्री ए. यू. सिंह दिवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति शुरू करने की योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नीति का प्रारूप तैयार किए जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या नीति के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुखता प्रदान की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह नीति कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : 9 जून, 2014 को संसद में राष्ट्रपति के संबोधन, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) जारी करने की इच्छा का उल्लेख किया गया था, के अनुसरण में, नीति आयोग ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए अतिमहत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता, स्वच्छ पर्यावरण, स्थायित्व और इक्विटी; और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे, सौर, पवन और बायोमास इत्यादि को सम्यक महत्व देते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) : इसे जारी करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1627

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

बिजली की कीमतों और मांग में गिरावट

1627. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एक्सचेंज पर बिजली की कीमतों में एक रुपये प्रति यूनिट की गिरावट आई है;
- (ख) क्या कोयले के अतिरिक्त भण्डार से पिछले महीने के दौरान बिजली की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति यूनिट की गिरावट आई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या गत कुछ दिनों के दौरान बिजली की मांग में 10,000 मेगावाट की गिरावट आई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत एक्सचेंज में दिन के दौरान 15-15 मिनट के 96 समय-खण्ड होते हैं जिनके दौरान विद्युत का लेन-देन किया जा सकता है तथा प्रत्येक समय-खण्ड की कीमत पृथक रूप से आकलित की जाती है। इन कीमतों में से मार्च, 2015 के दौरान, कुछेक समय-खण्डों में, भारतीय एनर्जी एक्सचेंज में लेन-देन की कीमत लगभग 1 रुपया प्रति यूनिट तक आ गई है।

(ख) और (ग) : विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की बाजार कीमत, कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि ईंधन लागत, मांग एवं आपूर्ति स्थिति आदि। मार्च, 2015 में भारतीय एनर्जी एक्सचेंज में आकलित की गई औसत कीमत, विगत वर्ष के इसी माह (मार्च, 2014) की 3.03 रुपए प्रति यूनिट कीमत से घटकर 2.68 रुपए प्रति यूनिट रह गई। विद्युत क्षेत्र के लिए स्वेदशी कोयले की उपलब्धता में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में 10.4% की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप कोयले का अधिशेष भंडारण हुआ जिसके कारण भी विद्युत की कीमत में कमी आई।

(घ) और (ङ) : जी, हां। व्यस्ततम विद्युत की मांग, जो 20.04.2015 को 1,31,724 मेगावाट थी, 26.04.2015 को घटकर 1,19,903 मेगावाट रह गई अर्थात् 10,000 मेगावाट से भी ज्यादा की गिरावट आई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1628

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

सभी को बिजली की आपूर्ति

1628. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड और गुजरात में कितने लोगों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है;

(ख) मंत्रालय 2019 तक उपरोक्त दोनों राज्यों सहित देश में सभी को किस प्रकार बिजली आपूर्ति करने का विचार रखता है; और

(ग) देश में, विशेष रूप से उपरोक्त दोनों राज्यों में अभी भी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है और यह केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों और निधियों से किया जाता है। तथापि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड और गुजरात राज्यों में बिजली रहित ग्रामीण घरों की संख्या निम्नवत् थी:-

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण घर	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिजली वाले ग्रामीण घर	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युतीकरण किए जाने वाले ग्रामीण घर
1.	झारखण्ड	46,85,965	15,14,050	31,71,915
2.	गुजरात	67,65,403	57,49,271	10,16,132

भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को अनुमोदन प्रदान किया है। पूर्व की आरजीजीवीवाई को डीडीयूजीजेवाई में स्कीम के आरई घटक के रूप में समाहित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, जनसंख्या मानदण्ड पर ध्यान दिए बिना, सभी गैर विद्युतीकृत गाँवों/वास-स्थलों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण हेतु शामिल किया जा सकता है। डीडीयूजीजेवाई (पूर्व की आरजीजीवीवाई) के आरई घटक के अंतर्गत झारखण्ड राज्य में मार्च, 2014 में 4,71,972 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए जाने को शामिल करते हुए 12वीं योजना में 17 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, देश में 2013-14 के दौरान 8830 गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 12वीं योजना में 273 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

(ग) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में बसे हुए गाँवों की कुल संख्या 5,97,464 थी जिसमें से 31.03.2015 तक 5,79,012 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। झारखण्ड और गुजरात राज्यों के गाँवों, विद्युतीकृत गाँवों और विद्युतीकरण किए जाने के लिए शेष गाँवों की संख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	राज्य	बसे हुए गाँव	बिजली वाले बसे हुए गाँव (31.12.2014 तक)	विद्युतीकरण किए जाने के लिए शेष गाँव
1.	झारखण्ड	29,492	28,585	907
2.	गुजरात	17,843	17,843	0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1629

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

ओडिशा में विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई
ऐश का निपटान

1629. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ओडिशा में कार्यरत सार्वजनिक और निजी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश का उत्पादन किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का संयंत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह फ्लाई ऐश आस-पास के लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्यायें पैदा कर रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है अभी फ्लाई ऐश को किस तरह निपटाया जा रहा है;
- (घ) क्या इन संयंत्रों ने फ्लाई ऐश का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके ईट बनाने के संबंध में ईट भट्टा कारखानों से किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं/सम्पर्क किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत के कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। इसलिए देश में (ओडिशा सहित) कोयला प्रज्वलित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में ओडिशा राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई फ्लाई ऐश के ब्यौरे अनुबंध में हैं।

इस प्रकार उत्पादित फ्लाई ऐश का सीमेण्ट के विनिर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक एवं टाइलें बनाने में, ऐश डाइक ऊंचा करने में, निचले क्षेत्र की भराई में, खदानों की भराई इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यदि कोई फ्लाई ऐश शेष रह जाती है, तो इसे ऐश पॉण्ड में छोड़ दिया जाता है।

नजदीकी क्षेत्र के लोगों के लिए फ्लाई ऐश द्वारा हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत मंत्रालय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) : सीईए वर्ष 1996-97 से देश में फ्लाई ऐश के उत्पादन और इसके उपयोग की निगरानी करता है। सीईए के अनुसार, 1996-97 में फ्लाई ऐश उत्पादन 68.88 मिलियन टन और इसका उपयोग 6.64 मिलियन टन अर्थात् 9.63% किया गया था। उत्पादन 2013-14 में बढ़कर 172.87 मिलियन टन हो गया है और इसका उपयोग 99.62 मिलियन टन अर्थात् 58% हुआ है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ओडिशा में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश का उत्पादन

(मिलियन टन में)

क्रम सं.	टीपीएस का नाम	यूटिलिटी	2011-12	2012-13	2013-14
1.	तालचेर (केएएन)	एनटीपीसी लि.	6.235	6.726	6.313
2.	तालचेर टीपीएस	एनटीपीसी लि.	1.193	1.235	1.217
3.	आईबी वैली	ओ.पी.जी.सी.एल.	1.048	1.109	1.080
4.	स्टरलाईट	स्टरलाईट एनर्जी लि.	2.185	2.625	2.764
5.	कमलंगा	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि.	--	--	0.362
6.	इंडियन मेटल एंड फैरो एलॉयज लि.	इंडियन मेटल एंड फैरो एलॉयज लि.	--	--	0.495
7.	नाल्को, सीपीपी	नाल्को, सीपीपी	--	--	1.922
		कुल	10.661	11.695	14.153

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1630

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए कदम

1630. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने अगले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा उपभोग को 10 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके बावजूद देश को ईंधन और बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की फिर भी आवश्यकता होगी;
- (ख) क्या सरकार अगले पांच वर्षों में यथा अभिकल्पित 2 ट्रिलियन यूनिट में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 6 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी विचार रखती है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि इस ऊर्जा का उपयोग जितना संभव हो, उतनी किरफायत से किया जाए और इस प्रकार से की गई ऊर्जा की बचत के परिणामस्वरूप आगामी पाँच वर्ष की अवधि में 10% खपत के बराबर की बचत हो जाएगी। भारत में ऊर्जा खपत बहुत कम है (वैश्विक औसत 1880 किग्रा. तेल समतुल्य/प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष और विकसित देशों में औसत 4280 किग्रा. तेल समतुल्य/प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष की तुलना में केवल लगभग 670 किग्रा. तेल समतुल्य/प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष है) और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने एवं उच्च स्तरीय जीविका का सृजन करने के लिए इसे बढ़ाना होगा जिसके लिए प्रतिवर्ष बहुत अधिक निवेश अपेक्षित होगा।

(ख) और (ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 1,00,000 मेगावाट सौर, 60,000 मेगावाट पवन, 10,000 मेगावाट बायोमास और 5000 मेगावाट लघु हाइड्रो परियोजनाओं की स्थापना करके स्वच्छ ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने की योजना है। विद्यमान क्षमता एवं वर्ष 2022 तक जोड़ी जाने वाली संभावित उपर्युक्त क्षमता से कुल उत्पादन लगभग 370 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1631

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

देश में बिजली की स्थिति

1631. डा. विजयलक्ष्मी साधौ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से बिजली के उत्पादन और प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग के बीच अन्तराल का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्यों को की गई विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा खपत और उत्पादन के बीच के अन्तर को पाटने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा तथा गत तीन वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में है।

(ख) : गत तीन वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के लिए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन से राज्यों को आपूर्ति की गई विद्युत का राज्य वार और वर्ष वार ब्यौरा अनुबंध-III में है।

(ग) : किसी विशेष समय पर उत्पादित विद्युत का पूर्णतः उपभोग कर लिया जाता है। तथापि, 18वें ईपीएस के अनुसार विद्युत की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने हेतु उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य अखिल भारतीय आधार पर परंपरागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से नियोजित क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मेगावाट है। अखिल भारतीय आधार पर इस क्षमता अभिवृद्धि से, 18वें ईपीएस के अनुसार विद्युत के लिए प्रक्षेपित मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरी तरह से पूरा होने की संभावना है।

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1631 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15, 2013-14 व 2012-13 के लिए राज्य में स्थित स्टेशनों से राज्य-वार और क्षमता-वार उत्पादन

राज्य	स्रोत	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन एमयू		
			2014-15*	2013-14	2012-13
बीबीएमबी	हाइड्रो	2884.3	10598.17	12125.01	10944.67
बीबीएमबी कुल		2884.3	10598.17	12125.01	10944.67
दिल्ली	थर्मल	3048.4	8727.7	8637.67	10740.93
दिल्ली कुल		3048.4	8727.7	8637.67	10740.93
हरियाणा	थर्मल	6411.59	28747.34	26374.22	25416.04
हरियाणा कुल		6411.59	28747.34	26374.22	25416.04
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	5797.02	23336.94	21680.66	20331.49
हिमाचल प्रदेश कुल		5797.02	23336.94	21680.66	20331.49
जम्मू एवं कश्मीर	थर्मल	175	0	0	0
	हाइड्रो	2669	14376.24	12426.79	12485.81
जम्मू एवं कश्मीर कुल		2844	14376.24	12426.79	12485.81
पंजाब	थर्मल	4680	18917.52	16817.97	18012.31
	हाइड्रो	1051	4032.71	3913.52	3925.85
पंजाब कुल		5731	22950.23	20731.49	21938.16
राजस्थान	थर्मल	8263.13	45616.14	35558.25	32673.61
	न्यूक्लियर	1180	7670.61	9233.13	8846.88
	हाइड्रो	411	835.32	1059.98	845.34
राजस्थान कुल		9854.13	54122.07	45851.36	42365.83
उत्तर प्रदेश	थर्मल	17576.14	107771.5	107897.8	100227.7
	न्यूक्लियर	440	2886.31	2703.5	2541.14
	हाइड्रो	501.6	1243.98	1241.73	1577.92
उत्तर प्रदेश कुल		18517.74	111901.81	111843.01	104346.72
उत्तराखण्ड	हाइड्रो	3426.35	11412.69	11025.01	12438.79
उत्तराखण्ड कुल		3426.35	11412.69	11025.01	12438.79
छत्तीसगढ़	थर्मल	15243	79397.97	70678.61	67814.26
	हाइड्रो	120	258.2	251.51	301.51
छत्तीसगढ़ कुल		15363	79656.17	70930.12	68115.77
गोवा	थर्मल	48	12.61	241.32	245.41
गोवा कुल		48	12.61	241.32	245.41
गुजरात	थर्मल	22985.41	98199.96	86339.97	82942.69
	न्यूक्लियर	440	3519.8	3752.43	3470.22
	हाइड्रो	1990	3825.93	7106.29	4578.31
गुजरात कुल		25415.41	105545.69	97198.69	90991.22
मध्य प्रदेश	थर्मल	14345	68716.93	50430.94	43467.82
	हाइड्रो	2395	6298.34	9215.93	7227.71
मध्य प्रदेश कुल		16740	75015.27	59646.87	50695.53
महाराष्ट्र	थर्मल	22928	92246.44	78560.37	76753.13
	न्यूक्लियर	1400	10262.35	9884.54	9824.31
	हाइड्रो	2887	5390.82	6255.03	5557.47
महाराष्ट्र कुल		27215	107899.61	94699.94	92134.91
आंध्र प्रदेश	थर्मल	10427.2	43047.28	43500.28	46094.73
	हाइड्रो	1100	1876.01	2026.57	915.57
आंध्र प्रदेश कुल		11527.2	44923.29	45526.85	47010.3

कर्नाटक	धर्मल	5014.42	30550.88	29798.63	28334.51
	न्यूक्लियर	880	6458.92	6539.06	5442.13
	हाइड्रो	3657.4	13141.58	13026.82	10298.61
कर्नाटक कुल		9551.82	50151.38	49364.51	44075.25
केरल	धर्मल	768.18	1181.2	1541.62	2217.58
	हाइड्रो	1881.5	6851.74	7708.18	4650.08
केरल कुल		2649.68	8032.94	9249.8	6867.66
पुडुचेरी	धर्मल	32.5	102.14	256.97	230.76
पुडुचेरी कुल		32.5	102.14	256.97	230.76
तमिलनाडु	धर्मल	11838	61252.09	55100.82	48084.49
	न्यूक्लियर	1440	5175.16	2115.13	2741.43
	हाइड्रो	2182.2	4939.06	4994.75	2868
तमिलनाडु कुल		15460.2	71366.31	62210.7	53693.92
तेलंगाना	धर्मल	4882.5	36522.03	34650.71	37615.77
	हाइड्रो	2496.6	4406.44	4502.16	1846.83
तेलंगाना कुल		7379.1	40928.47	39152.87	39462.6
आंडमान निकोबार	धर्मल	40.05	157.54	171.49	135.81
आंडमान निकोबार कुल		40.05	157.54	171.49	135.81
बिहार	धर्मल	3430	18270.87	14939.36	14707.45
बिहार कुल		3430	18270.87	14939.36	14707.45
डीवीसी	धर्मल	6890	25279.4	27889.66	26077.88
	हाइड्रो	143.2	268.9	225.63	199.33
डीवीसी कुल		7033.2	25548.3	28115.29	26277.21
झारखण्ड	धर्मल	3140	14608.39	14235.65	11378.09
	हाइड्रो	130	34.47	109.53	141.98
झारखण्ड कुल		3270	14642.86	14345.18	11520.07
ओडिशा	धर्मल	8530	44439.97	38664.74	37289.82
	हाइड्रो	2142.25	6943.19	7547.45	4939.32
ओडिशा कुल		10672.25	51383.16	46212.19	42229.14
सिक्किम	हाइड्रो	669	3346.91	2945.38	2596.5
सिक्किम कुल		669	3346.91	2945.38	2596.5
पश्चिम बंगाल	धर्मल	9315	47450.8	44674.32	45690.42
	हाइड्रो	1109	2155.66	1395.56	1138.12
पश्चिम बंगाल कुल		10424	49606.46	46069.88	46828.54
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	405	1109.42	980.94	1239.94
अरुणाचल प्रदेश कुल		405	1109.42	980.94	1239.94
असम	धर्मल	627.2	3255.81	3149.27	3099.67
	हाइड्रो	325	1033.42	1215.95	1102.62
असम कुल		952.2	4289.23	4365.22	4202.29
मणिपुर	धर्मल	36	0	0	0
	हाइड्रो	105	370.5	639.84	580.41
मणिपुर कुल		141	370.5	639.84	580.41
मेघालय	हाइड्रो	332	861.15	981.61	774.77
मेघालय कुल		332	861.15	981.61	774.77
नागालैंड	हाइड्रो	75	165.17	245.71	213.34
नागालैंड कुल		75	165.17	245.71	213.34
त्रिपुरा	धर्मल	980.1	3846.46	2366.49	1424.96
त्रिपुरा कुल		980.1	3846.46	2366.49	1424.96
		2885.3	10641.93	9579.81	8435.71
भूटान (आयात)	हाइड्रो		4997.39	5597.9	4794.5
भूटान (आयात) कुल			4997.39	5597.9	4794.5
			4997.39	5597.9	4794.5
कुल		228320.24	1048402.49	967150.34	912056.7

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1631 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अखिल भारतीय और राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

(केडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*	2014-15*
चंडीगढ़	1283	1217	1168	1133	1052
दिल्ली	1530	1587	1613	1446	1561
हरियाणा	1485	1628	1722	1773	1909
हिमाचल प्रदेश	1251	1289	1380	1348	1336
जम्मू व कश्मीर	988	1015	1043	1066	1169
पंजाब	1736	1799	1761	1810	1858
राजस्थान	844	927	982	1011	1123
उत्तर प्रदेश	412	450	450	472	502
उत्तराखण्ड	1144	1232	1297	1285	1358
छत्तीसगढ़	1118	1320	1495	1601	1719
गुजरात	1508	1663	1796	1973	2105
मध्य प्रदेश	674	672	753	764	813
महाराष्ट्र	1096	1204	1239	1183	1257
दमन एवं दीव	7810	7785	7927	8003	6960
दादर नागर हवेली	13366	13767	14341	14515	13769
गोवा	2061	2025	2045	2198	1803
आंध्र प्रदेश	1065	1157	1135	1196	1040
तेलंगाना					1356
कर्नाटक	925	1081	1129	1179	1211
केरल	551	594	630	645	672
तमिलनाडु	1233	1277	1226	1544	1616
पुडुचेरी	1850	2125	2136	1692	1655
लक्षद्वीप	532	550	592	665	657
बिहार	127	134	145	160	203
झारखण्ड	749	790	847	810	835
ओडिशा	1070	1146	1209	1349	1419
पश्चिम बंगाल	538	564	594	609	647
सिक्किम	880	886	862	700	685
अंडमान-निकोबार	499	501	559	368	361
अरुणाचल प्रदेश	582	683	719	503	525
असम	223	250	240	280	314
मणिपुर	242	236	353	266	295
मेघालय	654	658	690	684	704
मिजोरम	462	507	469	445	449
नागालैंड	265	257	268	259	311
त्रिपुरा	222	254	296	331	303
अखिल भारत	819	884	914	957	1010

* अनंतिम

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1631 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों को आपूर्ति की गई विद्युत का ब्यौरा

राज्य/स्टेशन	(एमयू में आंकड़े)		
	2014-15	2013-14	2012-13
सिस्टम			
चंडीगढ़	843.89	903.25	989.74
दिल्ली	19080.21	20595.74	18447.34
हरियाणा	12093.99	10654.12	10950.91
हिमाचल प्रदेश	5771.00	5269.54	5186.68
जम्मू व कश्मीर	9975.96	9132.10	8769.41
पंजाब	17674.77	15477.70	12825.63
राजस्थान	16422.68	15682.58	13312.55
उत्तर प्रदेश	35785.56	33173.03	30892.25
उत्तराखण्ड	4750.75	4732.72	4171.03
छत्तीसगढ़	7776.70	7286.50	6966.70
गुजरात	31955.90	27037.70	24100.10
मध्य प्रदेश	28808.60	22110.30	21502.00
महाराष्ट्र	34460.80	36318.80	35758.80
दमन एवं दीव	1832.10	1897.00	2069.60
दादर नागर हवेली	4101.00	4229.40	4362.30
गोवा	3403.20	3396.10	3354.40
आंध्र प्रदेश	16115.05	25911.13	22994.65
तेलंगाना	12554.16	*	*
कर्नाटक	14147.87	12324.73	11790.50
केरल	11539.76	10038.51	10580.86
तमिलनाडु	26959.96	24141.99	21396.79
पुडुचेरी	2337.56	2432.22	2652.02
बिहार	12735.05	12735.87	10425.68
डीवीसी	1228.61	1003.83	862.37
झारखण्ड	2718.16	2737.65	2656.55
ओडिशा	7783.66	7312.74	7236.02
पश्चिम बंगाल	6822.08	6337.82	6135.20
सिक्किम	780.47	765.46	773.74
अरुणाचल प्रदेश	464.17	466.95	531.12
असम	4111.44	3726.96	4151.97
मणिपुर	517.84	563.65	598.73
मेघालय	865.02	688.42	899.93
मिजोरम	323.06	317.42	346.36
नागालैंड	432.22	446.58	411.53
त्रिपुरा	987.16	584.49	258.33

* तेलंगाना के आंकड़े जून, 2014 से हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1632

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत कोश

1632. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को संवितरित किए गए ऋण पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत कोश की स्थापना की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों को स्वीकृत और जारी की गई ब्याज राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा ब्याज राजसहायता को सुधार से जुड़े मानकों के संबंध में हुई प्रगति से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए, वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) शुरू की। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रु. 25000 करोड़ मूल्य की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए कुल रु. 8466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है जो 14 वर्षों के लिए है। एनईएफ में, अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत समाहित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत किए जा रहे कार्य शामिल नहीं किए जाते हैं।

(ग) : एनईएफ के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुमोदित रूपए 26,406 करोड़ के ऋण के राज्य-वार/डिस्कॉम-वार ब्यौरे, ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए ऋण के वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध-क में दिए गए हैं। एनईएफ संचालन समिति द्वारा अनुमोदित और मार्च, 2015 तक पात्र वितरण कंपनियों को संवितरण ब्याज सब्सिडी के ब्यौरे अनुबंध-ख में दिए गए हैं।

(घ) : एनईएफ के अंतर्गत पात्रता की पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपाय हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से संबंधित पैरामीटरों में अर्जित प्रगति से संबद्ध है। पात्रता की पूर्व-शर्तें हैं - राज्य विद्युत विनियामक आयोग का प्रचालनीकरण, यूटिलिटियों के टर्नएराउंड के लिए व्यापार योजना तैयार करना, राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन, राज्य सरकारों द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना और प्रशुल्क याचिका को समय से दायर करना हैं। इसके अतिरिक्त, पात्र वितरण कंपनियों को एटी एण्ड सी हानियों में कमी, राजस्व अंतर में कमी (आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)-सब्सिडी प्राप्त आधार पर औसत वसूला गया राजस्व और इक्विटी तथा बहुवर्षीय प्रशुल्क (एमवाईटी) पर रिटर्न) के लिए अंक दिए जाएंगे। तदनुसार, पूर्व-पात्र वितरण कंपनियाँ एनईएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं एवं नोडल एजेंसी (आरईसी) द्वारा मूल्यांकन के आधार पर पात्रता मानदण्डों के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1632 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मार्च, 2015 तक एनईएफ परियोजनाओं की तुलना में अनुमोदित ऋण एवं भुगतान के ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	यूटिलिटी का नाम	परियोजनाओं की सं.	एनईएफ के अंतर्गत योग्य कुल ऋण राशि	संवितरित ऋण*			
					वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान	31.03.2015 तक संचयी
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	3	143.57	-	14.01	8.29	22.30
2		आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	118	2,098.91	65.81	551.42	711.88	1329.11
3	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	6	406.37	-	-	66.18	66.18
4	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	1	60.00	-	-	-	-
5	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लि.	1	83.00	-	-	-	-
6	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	34	414.12	-	28.82	45.86	74.68
7		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	53	714.53	3.80	93.77	168.02	265.59
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	68	410.62	37.20	39.57	77.10	153.87
9	कर्नाटक	बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि.	119	2,564.05	-	-	645.55	645.55
10		चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कं. लि.	15	451.70	-	64.39	185.37	249.76
11		हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कं. लि.	25	914.27	-	48.62	38.91	87.53
12		मंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि.	2	89.66	-	13.26	21.56	34.82
13	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लि.	1	84.30	25.29	34.81	-	60.10
14		एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.	2	196.53	-	45.72	48.65	94.37
15	महाराष्ट्र	बिहान-मुंबई इलैक्ट्रिक सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट	11	405.19	-	-	-	-
16		महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	243	7,534.98	181.41	303.39	523.26	1008.05
17	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.	25	1,035.84	-	204.64	125.61	330.25
18	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	19	578.34	-	79.30	220.74	300.04
19		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	21	923.04	-	247.67	378.66	626.33
20		जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	19	652.97	-	149.84	293.98	443.82
21	तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि.	54	1,340.27	-	124.64	306.08	430.72
22	तेलंगाना	तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	89	696.19	-	86.91	351.97	438.88
23		तेलंगाना स्टेट नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	51	2,354.90	-	-	-	-
24	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	11	371.61	33.12	18.96	207.89	259.97
25	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	18	1,881.81	-	-	433.74	433.74
कुल			1009	26,406.77	346.63	2,149.74	4,859.29	7355.66

* वित्तीय संगठनों द्वारा संवितरित ऋण

अनुबंध-ख

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1632 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनईएफ के अंतर्गत जारी करने के लिए अनुमोदित ब्याज सब्सिडी का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज सब्सिडी	छठी बैठक में स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित ब्याज सब्सिडी राशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 बजट के अंतर्गत संवितरित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 बजट के अंतर्गत शेष संवितरित होना है
यूटिलिटी का नाम			
यूपीसीएल (उत्तराखण्ड)	3.82	3.82	
एमपीएमकेवीवीसीएल (मध्य प्रदेश)	3.33	3.33	
यूएचबीवीएनएल (हरियाणा)	0.32	0.32	
उप-जोड़	7.47	7.47	0
वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज सब्सिडी			
एमपीपीओकेवीवीसीएल (मध्य प्रदेश)	74.82	18.49	56.33
जेडीवीवीएनएल (राजस्थान)	227.18	16.39	210.79
यूपीसीएल (उत्तराखण्ड)	263.26	30.81	232.45
यूएचबीवीएनएल (हरियाणा)	178.59	26.84	151.75
उप-जोड़	743.85	92.53	651.32
सकल योग	751.32	100	651.32

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1633

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत संकट से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता

1633. कुमारी शैलजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को आगामी गर्मियों में संभावित विद्युत संकट से निपटने में केन्द्र के दखल और सहायता के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अनुरोधों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणाली की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों का केवल अनुपूरण करती है।

विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी के समय, समय-समय पर केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों (सीजीएस) की गैर आबंटित विद्युत से अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध करते हैं। केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से गैर-आबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण, यह अन्य स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का केवल अनुपूरण कर सकती है। पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान, अनाबंटित पूल से राज्यों को दी गई अतिरिक्त विद्युत तथा विभिन्न केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से वापिस किए गए हिस्से के पुनःआबंटन का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1633 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 के दौरान केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से सरेंडर हिस्से का अनाबंटित पूल और पुनःआबंटन से राज्यों को विद्युत का आबंटन

	तिथि	राज्य	स्टेशन	मेगावाट	समय-सीमा
1	26.03.2015	असम	अनाबंटित	42.32	1.04.2015 से 30.04.2015
2	19.03.2015	आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	304	01.04.2015 से 30.09.2015
		तेलंगाना	झज्जर	222	
		केरल		167	
		आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	0	01.10.2015 से 31.03.2016
		तेलंगाना	झज्जर	374	
		केरल		319	
3	23.02.2015	तमिलनाडु	कुडनकुलम यू-II	100	
4	24.12.2014	एचपीएसईबी	सौर के लिए	15	
5	24.12.2014	उत्तराखण्ड	कोटेश्वर	10.04	
6	24.12.2014	हरियाणा	चमेरा-III	7.76	
			पार्वती-III	17.5	
			टिहरी	28	
			कोलडैम	26.88	
7	27.11.2014	गोवा	अनाबंटित	20	28.02.2015 तक तीन मीह के लिए
8	26.11.2014	असम	अनाबंटित	42.32	1.12.2014 से 31.12.2014
9	25.11.2014	शीतकालीन आबंटन	अनाबंटित		नीचे दी गई तालिका के अनुसार
10	10.11.2014	तेलंगाना	कुडनकुलम यू-II	50	
11	11.11.2014	बिहार	दादरी-II	261	
12	28.10.2014	असम	अनाबंटित	42.32	1.11.2014 से 30.11.2014
13	27.10.2014	मध्य प्रदेश		63.27	हिमाचल द्वारा सरेंडर की गई विद्युत
		मध्य प्रदेश	बाढ़-II	99	सीओडी से
14	1.10.2014	मध्य प्रदेश	बीटीपीएस	285	01.10.2014 से 31.2015
15	29.09.2014	आंध्र प्रदेश	कुडनकुलम यू-I	50	
16	04.09.2014	बिहार	बीएसटीपीएस-I	502	
			बीएसटीपीएस-II	199	
17	04.09.2014	बिहार	दादरी-I	180	अगस्त, 2015 तक
18	20.08.2014	बीएआरसी	टीएपीएस	10	
19	28.07.2014	आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	200	01.08.2014 से 31.03.2014
		तेलंगाना	झज्जर	100	
		केरल		76.83	
20	30.06.2014	आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	176.83	01.07.2014 से 31.07.2014
		तेलंगाना	झज्जर	100	
		केरल		100	
21	26.06.2014	असम	अनाबंटित	42.32	01.07.2014 से 31.10.2014
22	24.06.2014	राजस्थान	अनाबंटित	87.5	सौर मिशन के लिए
23	11.06.2014	उत्तर प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	325	20.06.2014 तक
			झज्जर		
24	31.05.2014	शीतकालीन आबंटन	अनाबंटित		नीचे दी गई तालिका के अनुसार

25	30.05.2014	उत्तर प्रदेश	आईजीएसटीपीएस झज्जर	325	07.06.2014 तक
26	21.05.2014	आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस	226.17	01.06.2014 से 31.05.2015
		केरल	झज्जर	90	
27	02.05.2014	उत्तर प्रदेश	आईजीएसटीपीएस झज्जर	276.83	15.05.2014 तक
28	24.04.2014	आंध्र प्रदेश	आईजीएसटीपीएस झज्जर	276.83	31.05.2014 तक

	ग्रीष्मकालीन आबंटन	शीतकालीन आबंटन
	31.05.2014	25.11.2014
चंडीगढ़	53.52	52.08
दिल्ली	0	0
हरियाणा	0	91.14
हिमाचल प्रदेश	0	91.14
जे एंड के	240.84	351.54
पंजाब	401.4	91.14
राजस्थान	80.28	130.2
उत्तर प्रदेश	468.3	390.6
उत्तराखण्ड	93.66	104.16
अनाबंटित पूल	1338	1302

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1634

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

बिहार और झारखंड को आरजीजीवीवाई और एपीडीआरपी
के अंतर्गत निधियां

1634. श्री प्रेम चन्द गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान बिहार और झारखण्ड को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत वर्ष-वार और योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उन्हें जारी धनराशि खर्च की है या यह बची हुई है, यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पूर्व की आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधियाँ पूर्व किशत (किशतों) में निधियों के निर्धारित उपयोग तथा अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर किशतों में जारी की जाती हैं। बिहार और झारखण्ड राज्य के लिए मंजूर की गई परियोजना लागत दोनों राज्यों के लिए पूर्व की आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संवितरित पूँजीगत सब्सिडी सहित नीचे दी गई है:-

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर परियोजनाओं की संख्या (गत तीन वर्षों के दौरान)	मंजूर परियोजना लागत	वर्ष के दौरान जारी की गई पूँजीगत सब्सिडी			कुल जारी की गई राशि पिछले 3 वर्षों में
				2012-13	2013-14	2014-15	
1.	बिहार	27	5220.65	21.06	848.13	1489.80	2358.99
2.	झारखण्ड	17	1260.93	72.87	0	9.42	82.29

दिनांक 31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिहार और झारखण्ड राज्य को जारी की गई संचयी सब्सिडी में से खर्च नहीं की गई शेष राशि, संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा सूचित किए गए व्यय के अनुसार, क्रमशः 1627.63 करोड़ रुपए और 187.32 करोड़ रुपए है।

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्व के पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत बिहार और झारखण्ड को मंजूर की गई परियोजनाओं तथा निधि संवितरण का ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर परियोजनाएं (रुपए करोड़ में)			निधि संवितरण (रुपए करोड़ में)			गत तीन वर्षों में जारी की गई कुल राशि (रुपए करोड़ में)
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	
बिहार	530.05	0.00	0.00	82.53	97.36	0.00	179.89
झारखण्ड	0.00	1251.68	0.00	0.00	27.78	0.00	27.78

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाएं, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और लाभ प्राप्तकर्ता राज्यों को निधियाँ नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), के माध्यम से जारी की जा रही हैं। यूटिलिटियाँ परियोजनाओं/ऋणों को मंजूरी दिए जाने पर अग्रिम ऋण प्राप्त कर रही हैं और अग्रिम राशि के उपयोग किए जाने पर, अगली किश्त आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभप्राप्तकर्ता यूटिलिटियाँ परियोजना की माँग के आधार पर भारत सरकार के ऋणों का उपयोग कर रही हैं और अगली किश्त के लिए अपने दावे सहित उपयोग की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1635

जिसका उत्तर 11 मई, 2015 को दिया जाना है।

तमिलनाडु को ग्रिड से जोड़ा जाना

1635. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद लगभग डेढ़ वर्ष का समय बीत चुका है कि 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए और राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी न होने के कारण तमिलनाडु को पेश आ रहे अत्यधिक विद्युत संकट के मद्देनजर महाराष्ट्र में शोलापुर और कर्णाटक में रायचूर के बीच पारेषण लाइन विद्युत पारेषण के लिए खुली हुई है;

(ख) राज्य को ग्रिड से जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या राज्य को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के काम में तेजी लाई जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : 765 केवी सिंगल सर्किट रायचूर (एसआर)-शोलापुर (डब्ल्यूआर) पारेषण लाइन 31 दिसंबर, 2013 को चालू की गई है, इसके साथ शेष राष्ट्रीय ग्रिड के साथ दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) ग्रिड का सिंक्रोनस इंटर-कनेक्शन पूरा हो गया है। इससे "एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी" प्रचालन एक वास्तविकता बन गई है।

विभिन्न कारणों से तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र के राज्य विद्युत की कमी झेल रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड को विद्युत के आयात की क्षमता के संवर्द्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए तमिलनाडु राज्य सहित दक्षिणी क्षेत्र के लिए कई पारेषण लाइनें चालू की गई हैं/नियोजित की गई हैं। विद्युत आपूर्ति के लिए पारेषण तंत्र को सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। इन पारेषण लाइनों का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 11.05.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1635 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू की गई/निर्माणाधीन इन पारेषण लाइनों का विवरण

I. अंतर क्षेत्रीय लाइनें:

- (i) रायचूर-शोलापुर 765 केवी दो सिंगल सर्किट लाइनें
- (ii) कोल्हापुर (नई)-नरेंद्र 765 केवी डबल सर्किट लाइन
(शुरुआत में 400 केवी पर प्रचालित)
- (iii) वर्धा-हैदराबाद 765 केवी डबल सर्किट लाइन
- (iv) अंगुल-श्रीकाकुलम-वेमागिरी 765 केवी डबल सर्किट लाइन

II. दक्षिणी क्षेत्र के भीतर अंतर राज्यीय पारेषण तंत्र का सुदृढीकरण

- (i) विजयवाड़ा-नेल्लौर (आंध्र प्रदेश) 400 केवी डी/सी लाइन
- (ii) नेल्लौर-थिरुवलम 400 केवी डबल सर्किट लाइन
- (iii) चित्तूर-थिरुवलम 400 केवी डबल सर्किट लाइन
- (iv) कुरनूल-थिरुवलम 768 केवी डबल सर्किट लाइन
- (v) मधुगिरी-सलेम पूर्लिंग प्वाइंट 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन
- (vi) सोमनाहल्ली-सलेम (नई) 400 केवी डबल सर्किट लाइन
- (vii) कोलार की लूप-इन-लूप आउट-एस.पी. बुडूर 400 केवी थिरुवलम स्थित सिंगल सर्किट लाइन
- (viii) सलेम की लूप-इन-लूप आउट-सोमनाहल्ली 400 केवी होसुर स्थित सिंगल सर्किट लाइन
- (ix) मैसूर-कोझीकोड 400 केवी डबल सर्किट लाइन
